

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्था/ 2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती काजल शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंज बालाजी बूंदी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुंडी बारां किया गया था जिसके विरुद्ध श्रीमती काजल शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3405/2019 काजल शर्मा बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3405/2019 में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2019 द्वारा अपीलार्थी श्रीमती काजल शर्मा को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में 15 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अपील अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पारिवारिक कारणों को मददेनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि भीया, केशोरायपाटन, बूंदी अथवा राउमावि देवली अरब कोटा में प्रधानाचार्य समकक्ष के रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अपील अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाहे गए विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है। अपीलार्थी को निकटतम जिले में ही स्थानान्तरित किया गया है, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। अपीलार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह अपने अधीन राज्य सेवा के कार्मिक को कब व कहां पदस्थापित करे।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती काजल शर्मा द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।



(हिमांशु गुप्ता)

आई.ए.एस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/काजल/3405/2019

दिनांक: 20.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बारां/बूंदी।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक बूंदी/बारां।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बारां।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती काजल शर्मा, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)